[भारत के असाधारण राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

नई दिल्ली, दिनांक: 12 सितम्बर, 2017

अधिसूचना

का.आ.....(ई) - भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण स्कीम [फेम-इंडिया स्कीम] जो भारी उद्योग विभाग द्वारा का.आ. 830(ई) दिनांक 13 मार्च, 2015 को अधिसूचित की गई थी, में आंशिक संशोधन करते हुए तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं:-

(1) अनुबंध 7, तालिका 7.2: पीएचईवी तथा बीईवी के लिए इलेक्ट्रिकल रेंज समाप्त कर दी गई है।

(2) अनुबंध 7, तालिका ए 7.3: बस विद्युत ऊर्जा खपत मानदंड निम्नलिखित तालिका से प्रतिस्थापित किया जाता है:

तालिका ए 7.3: बस विद्युत ऊर्जा खपत मानदंड

प्राचल	बीईवी
अधिकतम ऊर्जा खपत (किलोवाट घंटा/100 किमी)	175 से कम

(3) अनुबंध 13 के अंतर्गत: निम्नलिखित नई तालिका 8 जोड़ी जाती है:

तालिका 8 : इलेक्ट्रिक बस

बस	सीएमवीआर की श्रेणी	प्रोत्साहन स्तर 1	प्रोत्साहन स्तर 2
पूर्णतः इलेक्ट्रिक बस	एम2 एवं एम3	क्रय लागत का 60% अथवा ₹85 लाख (जो भी कम हो) यदि कम से कम 15% स्थानीकरण हासिल किया हो।	क्रय लागत का 60% अथवा ₹1 करोड़ (जो भी कम हो) यदि कम से कम 35% स्थानीकरण हासिल किया हो।

टिप्पणी:

1. प्रोत्साहन राशि का निर्णय क्रेता द्वारा जारी किए गए आपूर्ति आदेश के आधार पर लिया जाएगा। क्रेता को आपूर्ति का अंतिम निर्णय विधिवत निविदा प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् लेना होगा।
2. प्रोत्साहन राशि तीन समान किस्तों में प्रदान की जाएगी, जिसकी अदायगी तीन वर्षों में की जानी होगी। पहली किस्त आपूर्ति आदेश/संविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद जारी की जाएगी।
3. प्रोत्साहन, क्रेता अथवा आपूर्तिकर्ता अथवा विनिर्माणकर्ता को उनके बीच परस्पर सहमति के आधार पर दिया जाएगा।
4. स्थानीकरण का परिकलन फैक्ट्री कीमत के आधार पर किया जाएगा।
5. मूल उपकरण विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता को स्थानीकरण सामग्री के बारे में स्वतः प्रमाण पत्र जारी करना होगा; तथापि, विशेषीकृत विशेषज्ञ एजेन्सियों से स्वप्रमाणन को सत्यापित कराने का अधिकार भारी उद्योग विभाग के पास रहेगा।
6. अतिरिक्त वित्तीय सहायता क्रेता और मूल उपकरण विनिर्माता/विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता के बीच संविदा सहमति के अनुसार ईवी बसों के बेड़े की खरीद के लिए कुल अर्हक मांग प्रोत्साहन के 10% तक चार्जिंग उपकरणों की खरीद हेतु राज्य परिवहन उपक्रमों/नगर-निगमों को उपलब्ध कराई जाएगी।

2. अतः फेम-इंडिया [भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण स्कीम] जो का.आ. 830(ई) दिनांक 13 मार्च, 2015 को अधिसूचित की गई थी, तद्नुसार संशोधित की जाती है।

[फा.सं. 2(2)/2016-एनएबी-II(ऑटो)]

(विश्वजीत सहाय)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार